भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4107

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

गैर-लाभार्थी उन्मुख योजनाएं

4107. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप-योजना व्यय की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और परिणाम की निगरानी की समीक्षा की है और यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे किन्हीं मंत्रालयों या विभागों की पहचान की है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना के अंतर्गत गैर-लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं को शामिल करना जारी रखे हुए हैं और निधि के गलत तरीके से वर्गीकरण या अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना के आबंटनों और परिणामों का पता लगाने के लिए जिला-वार वास्तविक समय में डिजिटल डैशबोर्ड शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा, सामाजिक लेखापरीक्षा और जिला स्तरीय निगरानी जैसे जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी/एसटी) के लिए निधि आवंटित करने हेतु वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दायित्व प्राप्त मंत्रालय/विभाग संबंधित योजनाओं के तहत निधियां आवंटित करते हैं और इस तरह के निधि का आवंटन मंत्रालय/विभाग के कुल बजट के बजाय योजना विशिष्ट बजट पर आधारित होता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित मंत्रालयों को पूरी लगन और उत्साह के साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की योजना बनाने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने में पूरी गंभीरता और सही भावना के साथ सक्षम बनाने के लिए, नीति आयोग ने नोडल मंत्रालयों के साथ मिलकर एससीएसपी/डीएपीएससी के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों की फिर से जांच करने और उन पर फिर से विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यदि आगे कोई बाधा आती है जैसे कि, जब कोई दायित्व प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएससी निधियों के आवंटन के संबंध में छूट मांगी जाती है, तो नीति आयोग के परामर्श से नोडल विभाग अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी निधियों का उचित उपयोग किया जाए। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के साथ लगातार कार्य करता है कि डीएपीएससी निधियों का अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए समग्र ढांचे के आधार पर अनुसूचित जाति उप योजना/डीएपीएससी की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। 38 मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी के साथ मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारी) और सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारी) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। समीक्षा बैठकों में विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालयों/विभागों को योजनाओं को तैयार करने की सलाह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जा सके।

इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों और देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) का कार्यान्वयन कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय डीएपीएसटी संबंधी निधियों के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन, आवंटन और व्यय की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर दायित्व प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। नियमित पत्राचार के माध्यम से दायित्व प्राप्त मंत्रालयों/विभागों से आग्रह किया जाता है कि वे आबंटित निधियों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

इसके अलावा, डीएपीएससी/डीएपीएसटी के मौजूदा तौर-तरीकों की समीक्षा करने तथा इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए नीति आयोग ने नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य शामिल हैं। विशेषज्ञ समिति ने दायित्व प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए आवंटन और उपयोग के निष्पादन के संबंध में विचार-विमर्श किया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संसाधनों के आवंटन के एससीएसपी/डीएपीएससी और टीएसपी/डीएपीएसटी तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

(ग): नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूपों के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक वेब पोर्टल ई-उत्थान https://e-utthaan.gov.in/ तैयार किया है जो डीएपीएससी के अंतर्गत चिह्नित 229 स्कीमों में वित्तीय, वास्तविक और परिणाम-आधारित निगरानी संकेतकों पर 38 मंत्रालयों/विभागों से ऑनलाइन आंकड़े एकत्र करता है। इस पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जोड़ा गया है। इसी तरह, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी फंड की निगरानी के लिए वेब-साइट पते http://stemis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली चालू की गई है। यह फ्रेमवर्क सीधे पीएफएमएस से डेटा प्राप्त करता है और मंत्रालय को डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन की तुलना में व्यय की निगरानी देखने में मदद करता है।

(घ): विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं (जिसमें डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित निधियां भी हैं) की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा की जाती है और इसमें योजना को आगे जारी रखने अथवा बीच में सुधार करने के लिए अन्य पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा करवाए जाने का भी प्रावधान है।
